<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> <u>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)</u> <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> <u>(TRAINING CENTRE)</u>

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-250/2025-26/ No.Au/Trg/11-250/2025-26/ दिनांक: 2**र्ड** जून 2025 Date: 2**6**.06.2025

<u>अनुभागीय आदेश सं.108/ SECTIONAL ORDER NO. 108</u>

आदेश संख्या 107 दिनांक 24.06.2025 के आंशिक संशोधन में, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को इन हाउस ट्रेर्निंग सेंटर (व्याख्यान कक्ष) में आयोजित होने वाले उनके नाम के सामने उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मूल रूप से नामांकित अधिकारी के स्थान पर नामित किया गया है।

In partial modification of Order No.107 dated 24.06.2025, the following official of this office has been nominated in place of the originally nominated official for the training program mentioned against his name, scheduled to be conducted at In house Training Centre (Lecture Hall).

SI No	Name of the Official Originally Nominated (Shri. / Smt.)	Name of the Substitute Nominated (Shri. / Smt.)	Dates of Training	Training Course
1.	Joakkim Francis, AAO/ APC Cell	Manju Vijayan, AAO/APC Cell	25.06.2025	Legal Matters – Batch I

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using her Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

(उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 2**6** जून 2025 के आदेशानुसार(

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपिः-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.			म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए